न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 229/2011

प्रविष्टि दिनांक 8-7-2011

1-रामकरण पुत्र कालू जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
2-हंसराज पुत्र कालू जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
3-कन्या पुत्री कालू जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
4-सहादेरा पत्नि कालू जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
5-मुकेश पुत्र गोरधन जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
6-धन्ना पुत्र गोरधन जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
7-अशोक पुत्र गोरधन जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक
8-वरजी पत्नि गोरधन जाट निवासी ग्राम-सरोली तहसील देवली जिला टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 चन्द्रलोक होटल के पास टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित- (1) पवन कुमार जेन, अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री दीपक शर्मा, श्री रामधन सेनी, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 1-3-2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सरोली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1211 में स्थित संरचना मकान,टीनशेड इत्यादी का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा किस्म गे0मु0आबादी भूमि के आधार पर निर्धारण किया है जो 396644/रूपये आवार्ड की राशि का भुगतान भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण का कथन है कि ख0नं0 1214 में से रकबा 0.12 है0 द्वितीय बारानी भूमि में से 0.04 भूमि रोड ... उसका मुआवजा व उपरोक्त समपत्ति का मुआवजा वर्तमान ... संराचना के अनुसार मुआवजा दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 12
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1211 गैर मुमकिन आवादी वाके ग्राम सरोली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म गे0मु0 आबादी राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 1214 में से रोड निर्माण में नहीं आने के कारण अवाप्त नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड सर्वे नम्बर एल–161 किस्म जमीन गे0मु0 आबादी वाके ग्राम सरोली का मुआवजा निर्धारण 396644/रूपये आवार्ड की राशि का भुगतान हितबद्वधारी व्यक्ति के नाम जारी किया किया गया है। प्रार्थीगण की खसरा नं0 1214 में से भूमि, रोड निर्माण में नहीं आने से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त नहीं की गई है। संरचना के संदर्भ में रिकार्ड में मकान टीन शेड दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा लगाई फोटो में भी टीन शेड की छत दिख रही है। साथ ही प्रार्थी ने जो पट्टा पेश किया है उसमें कहीं खसरा संख्या का अंकन नहीं है साथ उक्त पट्टा अनुसूचित जाति जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आवादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन हुआ है। अतः प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अति0जिला कलेक्टर)टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर जमाबन्दी सं0 2066–2069 खसरा नम्बर 1211 में दर्ज गैर मुमकिन आवादी भूमि का तत् समय की आवासीय डीएलसी दर से नियमानुसार अवार्ड पारित करे। निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अति0जिला कलेक्टर)टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1–3–2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12
(जिला कलेक्टर) टोंक

Scanned by CamScanner